यूनियन बैंक O Union Bank

मान्व संसाधन विभाग, औदयोगिक संबंध प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

स्टाफ परिपत्र क्रमांक: 6488

दिनाँक: 28 नवंबर, 2016

सभी शाखाएँ/कार्यालय

स्टाफ सदस्यों को क्लीन ओवरड्राफ्ट की सुविधा

- 1. सभी संबंधितों का ध्यान स्टाफ परिपत्र क्रमांक: 5902 दिनांक: 05.09.2012 पर आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा स्टाफ सदस्यों हेतु क्लीन ओवरड्राफ्ट सुविधा योजना में संशोधन परिचालित किया गया था.
- 2. हमें, यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि निदेशक मंडल ने दिनांक 28.11.2016 को आयोजित अपनी बैठक में स्टाफ सदस्यों की पात्रता मापदंड मे संशोधन, क्लीन ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम मात्रा/सीमा में वृद्धि के साथ साथ वर्तमान ब्याज दर प्रणाली को बेस रेट से 'एमसीएलआर एक वर्ष की अविधि' में परिवर्तित करने को समीक्षित / स्वीकृत कर दिया है.
- 3. स्टाफ सदस्यों को क्लीन ओवरड्राफ्ट की राशि की सीमा में वृद्धि संवर्ग-वार निम्नानुसार है:

(राशि लाख में)

सेवा के वर्ष	अधिकारी		लिपिक		सब स्टाफ	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
2 वर्ष एवं इससे अधिक						
किन्तु 5 वर्ष से कम	0.70	2.00	0.60	1.50	0.40	0.80
5 वर्ष एवं इससे अधिक						
किन्तु 8 वर्ष से कम	3.15	5.00	275	4.00	.1.00	1.50
8 वर्ष एवं इससे अधिक	5.00	7.50	3.00	5.00	1.25	2.00

- 4. इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान ब्याज दर प्रणाली 'बेस रेट' को 'एमसीएलआर' में परिवर्तित कर दिया गया है. अतः स्टाफ सदस्यों को पूर्व में स्वीकृत/नया स्वीकृत क्लीन ओवरड्राफ्ट की सुविधा पर ब्याज दर एक वर्ष के एमसीएलआर रेट पर प्रभावी होगी। शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान खातों में एमसीएलआर ब्याजदर प्रणाली के परिवर्तन हेत् एमएसएमई बिभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
- 5. उपरोक्त सभी संशोधन दिनांक 01.12.2016 से प्रभावी होंगे. इस योजना के अन्य सभी पूर्ववत नियम व शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी.

महाप्रबंधक (मासं)



Human Resource Department Industrial Relations Division Central Office

Union Rank Rhayan, 220 Vidhan Phayan Marra Narinana Baista Marta 1, 100,004

Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Staff Circular No.: 6488 Date: 28th November, 2016

To: ALL BRANCHES / OFFICES

CLEAN OVERDRAFT FACILITY TO STAFF MEMBERS

- 1. Attention of all concerned is invited to Staff Circular No.5902 dated 05.09.2012 circulating the Revised Scheme of Clean Overdraft Facility to Staff Members.
- 2. We are pleased to inform you that the Board of Directors in their meeting held on 28.11.2016 has reviewed / approved modification in eligibility criteria, increase in the maximum quantum/limit of Clean Overdraft facility to Staff members as well as shifting of existing interest rate system from Base Rate to MCLR with one year tenor.
- 3. The cadre-wise enhancements in quantum of Clean Overdraft Limit to staff members are as under:

					(Amt in lacs)		
Completed Years of service	OFFICER		CLERK		SUB STAFF		
	Existing	Revised	Existing	Revised	Existing	Revised	
2 years and above but less than 5 years	0.70	2.00	0.60	1.50	0.40	0.80	
5 years and above but less than 8 years	3.15	5.00	2.75	4.00	1.00	1.50	
8 years and above	5.00	7.50	3.00	5.00	1.25	2.00	

- 4. Further, in line with the recent guidelines of Reserve Bank of India, the present interest rate system of Base Rate has been shifted to MCLR. Therefore, the effective interest rate on Clean Overdraft Facility to Staff members already sanctioned / new sanction will be 'MCLR with one year tenor'. Branches are advised to adhere to the guidelines in respect of change of interest rate system to MCLR issued by MSME Department in respect of existing accounts
- 5. The above modifications are effective from 01.12.2016. All other existing terms and conditions of the Scheme will remain unchanged.

GENERAL MANAGER (HR)